

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

**FORM-1**  
(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Dehradun

No

Dated 20.02.2015


**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.271 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Village Plan To Vihar Motor Road (5-275 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Bagi village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.271 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V<sup>th</sup> annexure 23.2, 23, 23.1
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:- As above.

  
Signature  
(Full name and official seal of the District Collector)

**CRAVI NATH RAMAN (IAS)**



**FORM-II**  
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Magistrate

No

Dated 20.02.2015


**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.271 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Village Plan To Vihar Motor Road(5.275Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Bagi village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.271 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the garm sabha of Chichrad villages(s) is enclosed as annexure..... To annexure.....
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communitis, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

  
 District Magistrate  
 Dehra Dun  
 (Full name and official seal of the District Collector)  
 (RAVI NATH RAMAN I.A.S.)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ravi Nath Raman I.A.S District Magistrate, Dehradun on dated 20.02.2015 at time 4.00 PM at Dehradun In which application claiming rights in measuring 2.271 Area hect for the construction of Village Plan To Vihar MOTOR ROAD forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Kalsi sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Dehradun

Dated: 20.02.2015

  
District Magistrate  
Dehradun  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee



परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या-6406/111 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के ग्राम प्लान से ग्राम बिहार तक मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। कि०मी० 1 से 5.275 तक।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कालसी  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, कालसी

उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम ग्राम प्लान से ग्राम बिहार मोटर मार्ग (0.000हे० आरक्षित वन भूमि, 0.343हे० सिविल एवं सोयम भूमि, 1.928 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.271हे० वन भूमि ) का लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कालसी ) की दिनांक 15-2-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अशोक कुमार पाण्डे, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्री अशोक कुमार पाण्डे उपजिलाधिकारी कालसी	अध्यक्ष	
श्री जी०सी० मार्तोलिया, उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी चकराता वन प्रभाग चकराता	सदस्य	
श्री मिट्ठन लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी कालसी	सदस्य/सचिव	
श्रीमती पानो देवी बी०डी०सी०	सदस्य	

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत किया हुआ उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम प्लान से ग्राम बिहार मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.271हे० वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम ग्राम प्लान से ग्राम बिहार मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.271 हे० वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील— कालसी  
जनपद— देहरादून

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील— कालसी  
जनपद— देहरादून



परियोजना का नाम :- मा10 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या-6406/111 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के ग्राम प्लान से ग्राम बिहार तक मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव कि०मी० 1 से 5.275 तक।

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र**  
**ग्राम पंचायत का नाम बिहार**  
**तहसील कालसी, जिला देहरादून**

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**


उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत ग्राम प्लान से ग्राम बिहार मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (..... हे० आरक्षित वन भूमि, 0.343 हे० सिविल एवं सोयम भूमि, 1.928 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.271 हे० वन भूमि) का लो०नि०वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बागी द्वारा दिनांक 15.2.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बिहार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव  
 मुहर सहित  
 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
 ग्राम पंचायत...  
 विकास खण्ड...



  
 District Magistrate  
 Dehra Dun.



दिनांक 15-2-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बागी बिहार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री बहादुर सिंह S/o स्व. चैत सिंह ग्राम बिहार	बहादुर सिंह
2	" चमनलाल S/o स्व. कानू राम	चमनलाल
3	" भावासिंह S/o अषाद सिंह	भावासिंह
4	" रवेमसिंह S/o दलीपसिंह	रवेमसिंह
5	" सुरजन S/o चैत सिंह	सुरजन सिंह
6	" रामनाथ S/o देवी दयाल	रामनाथ
7	" हिमचन्द S/o कानू राम	हिमचन्द
8	" युद्धवीर सिंह S/o रामचन्द्र सिंह	युद्धवीर सिंह
9	श्रीमती सावित्री देवी W/o स्व. राजेश सिंह	सावित्री देवी
10	" सेमानी देवी W/o सुखवीर सिंह	सेमानी देवी
11	" कृष्णा देवी W/o भूपाल सिंह	कृष्णा देवी
12	" कमला देवी W/o स्व. महावीर सिंह	कमला देवी
13	" सुमित्रा देवी W/o सुखपाल सिंह	सुमित्रा देवी
14	" पुनम देवी W/o जैपाल सिंह फकीरचन्द	पुनम देवी
15	" भमला लोभर W/o विपीन सिंह	भमला लोभर
16	" अनिता देवी W/o गोपाल सिंह	अनिता देवी
17	" गोपाल सिंह S/o दलीप सिंह	गोपाल सिंह
18	" फकीरचन्द S/o रामनाथ	फकीरचन्द
19	" सुनील कुमार S/o श्री चमनलाल	Sunil Kumar
20	" कुमर सिंह S/o लिकतल	Kumar
21	" रवजाना सिंह S/o लिकतल	Ravjana Singh
22	" गुन्ताराम S/o अयलरू	Guntaram
23	" सतप्रास S/o भावासिंह	Satprasad
24	" सुखपाल सिंह	Sukhpal Singh
25	" अभना W/o सुनील कुमार	Anhna





परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-6406/111 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के ग्राम प्लान से ग्राम बिहार तक मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव कि०मी० 1 से 5.275 तक।

## कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय समय पर संशोधित) के धारा-6 (5) तथा पर्यावरण एवं वनमंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं० 11-09/98-FC(pt) दिनांक 09.8.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 80/2/15 में जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ-

जिला देहरादून उत्तराखण्ड ग्राम प्लान से ग्राम बिहार मोटर मार्ग हेतु 2.271 है० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 592... वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु अ०ख०,लो०नि०वि० सहिया को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा -6(1) के अनुसार बागी ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा -6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनांक 15.02.2015 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव /आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पाया गया कि चकराता वनप्रभाग की रिवर रेन्ज के अन्तर्गत सिविल सोयम वन भूमि में चिन्हित भु-भाग पर वनअधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वनअधिकार हेतु कोई दावा नहीं है।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
जिला देहरादून समाज कल्याण अधिकारी  
सदस्य देहरादून

प्रमाणित वनाधिकारी  
चकराता वन प्रभाग चकराता  
सदस्य देहरादून

  
District Magistrate  
जिलाधिकारी  
अध्यक्ष  
देहरादून